

संपादकीय  
जांच से ही आस

कोर्ट के हस्तक्षेप से जगी उम्मीदें

भले ही? छुट्टी पर भेजे गये सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को शीर्ष अदालत से फौटी तौर पर राहत नहीं मिली है मगर सतर्कता आयोग को दो समाह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश से उम्मीद जरूर जगी है। निःसंदेह इसके दो शीर्ष अधिकारियों की लड़ाई से सीबीआई की साख पर जो बष्टा लगा है, उसकी कालिख बुछ कम जरूर होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोरोड, जरिट्स एस. के. कौल और जरिट्स के. एम. जोसेफ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीवीसी को जांच रिपोर्ट दो समाह में देने को कहा है। जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनायक करेंगे। जाहिर है कि दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे तो तीसरे पक्ष द्वारा जांच की जरूरत? थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है कि नागेश्वर राव अंतिरिम निदेशक बने रहेंगे मगर कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने देश की बड़ी जांच रेजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के बीच टकराव टालने के लिये बड़ा कदम उठाया था मगर विवाद सुलझने के बजाय और जटिल हो गया है। न्यायिक दखल के बाद विवाद के पटाक्षेप की उम्मीद जगी है।

बहरहाल, अपनी कार्यशैली के चलते पहले ही विवादों में रहने वाली सीबीआई की साख को जो क्षिति पहुंची है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि देश की सबसे बड़ी जांच रेजेंसी काम के मामले में बिल्कुल नकारा साक्षित हुई है। ?असल में चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप की है। आम धारणा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं को बचाने और विपक्षी नेताओं को डराने का काम करती है। यहीं वजह है कि कुछ वर्ष पूर्व शीर्ष अदालत ने सीबीआई को पालतू तोता कहा था। इसके बाद इसे स्वायत्त बनाने और निदेशक की चयन प्री या को पारदर्शी बनाने की कवायद की गई थी। निदेशक का कार्यकाल निश्चित किया गया था। अन्य शीर्ष पदों के लिये भी यही प्री या अपनाने की जरूरत है। मौजूदा हालात में इसकी विश्वसनीयता व प्रामाणिकता बनाये रखने के लिए लगातार सुधारों की जरूरत है ताकि यह संस्था केंद्र सरकार के किसी भी तरह के दबाव से मुक्त हो सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पहले ही साख के संकट से जुड़ा रही केंद्रीय जांच रेजेंसी की साख को हालिया शीर्ष अधिकारियों के विवाद ने बष्टा लगा दिया है। इसकी साख बचाने व केंद्र के दबाव से मुक्त बनाने की पहल होनी चाहिए। मामला पुलिस सुधारों से भी जुड़ा है।

## एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिना ऑटीपी से निकले पैसे? ऐसे बचें इस बैंकिंग फ्रॉड से

नई दिल्ली। जरा सोचिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में पड़ा हो और आपके बिना यूज किए घर पर हजारों रुपये का बिल आ जाए तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। आजकल फ्रॉड के ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं। राजकोट के विनोद गिरी गोसाई के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ। ऑटीपी (बन टाइम पासवर्ड) नंबर के बिना ही अकाउंट से पैसे निकाले गए, इसके बाद उन्होंने तुरंत एसबीआई क्रेडिट कार्ड के दफतर पर शिकायत की। लेकिन उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बिजेनस चैनल सीएनबीसी-आवाज़ के कंज्यूर शो परहेदार ग्राहक से मदद मांगी। परहेदार की मदद से उनके प्लॉटे वापस मिल गए। ऐसे हुआ फ्रॉड-कुछ ही समय पहले विनोद गिरी गोसाई के क्रेडिट कार्ड से दो फर्जी ट्रांजेक्शन हुए, पहले 1387 रुपये



अकाउंट से निकाले गए, पहले ट्रांजेक्शन रात 8.18 बजे और दूसरा 8.20 पर हुआ। 24 अप्रैल 2018 को एसबीआई कार्ड में शिकायत की गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के दफतर पर कोई बार शिकायत की गई, बैंक की ओर से मैसेज जाया और मैसेज में 1387 रुपये बैंक खते में आने की बात थी। हालांकि, दूसरी राशि की कोई जानकारी नहीं दी। बैंक के हर प्लेटफॉर्म पर ई-मेल किया और परहेदार को भी ई-मेल किया। परहेदार ने मदद की ओर 14 अगस्त 2018 को उनके अकाउंट में 30,724 रुपये

रुपये वापस आ गए।

कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आप उपरी का शिकायत होने से बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अग्र समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो इसके काफी फायदे हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी एहतियातों के बारे में जिससे आप सुरक्षित रह सकें।

&gt;